

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

अहकाम

बनाम

प्रभुपाल


कदमा

बाद

नं०

२५

सन् २०२३

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
२५/११/२०२३	<p>पत्रावली पैशा हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई वातजुद सूचना वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण में वादी की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से बाद पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) </p>	